बिहार सरकार

परिवहन विभाग

सं0सं0:– 05/स्था0 (DTO)–30/2013(छाया संचिका)....................../ दिनांक

आदेश

विभागीय आदेश संख्या 1957 दिनांक–28.03.2014 को आंशिक रूप से संशोधन करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–935 दिनांक 16.02.2014 द्वारा श्री पुरूषोत्तम, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना जो गाँधी सेतु टॉल प्लाजा, चेकपोस्ट, हाजीपुर मे प्रतिनियुक्त है, को मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरवाहन अधिनियम 1988 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक पटना एवं वैशाली जिला के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। साथ ही आदेश दिया जाता है कि वे अविलंब पटना एवं वैशाली जिला क्षेत्रान्तर्गत वाहनों की जॉच, जप्ती एवं शमन आदि से संबंधित कार्य सुनिश्चित करेंगे।

2.जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना श्री पुरूषोत्तम को वाहनों की जॉच हेतु एक सेक्शन होमगार्ड बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसकी अधियाचना वे जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी से करेंगे।

ह0/–
प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1970 पटना, दिनांक– 29/03/2014

प्रतिलिपिः–प्रमंडलीय आयुक्त पटना प्रमंडल पटना/तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/श्री पुरूषोत्तम, अपर जिला परिवहन पदाधिकरी, पटना/मोटरयान निरीक्षक, पटना/हाजीपुर(वैशाली)/प्रर्वतन पदाधिकरी, पटना/हाजीपुर वैशाली, प्रर्वतन अवर निरीक्षक, पटना एवं हाजीपुर(वैशाली)/आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटनाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 29/3/14
प्रधान सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।